भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*86**

(जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अतिरिक्‍त निधियां दिया जाना**

\*86. श्री एस. थंगावेलु:

 क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि सरकार इस वित्‍तीय वर्ष में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)में ग्‍यारह हजार पांच सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त निवेश करने के संबंध में विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ख) क्‍या यह भी सच है कि सरकार आगामी दो वित्‍तीय वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लगभग सत्‍तावन हजार करोड़ रुपए का पुन: पूंजीकरण करने का विचार रखती है ताकि वैश्‍विक पूंजी पर्याप्‍तता संबंधी मानकों की आवश्‍यकता को पूरा किया जा सके और विकास किया जा सके, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

**(क) और (ख):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**'सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अतिरिक्‍त निधियां दिया जाना' के संबंध में श्री एस. थंगावेलु द्वारा पूछे गए 28 जुलाई, 2015 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*86 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) और (ख):** सरकार अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्‍यकताओं को पर्याप्‍त रूप से पूरा करने और पीएसबी में विनियामकीय पूंजी पर्याप्‍तता अनुपात बनाए रखने के दोहरे उद्देश्‍य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूंजी निवेश कर रही है। प्रमुख पणधारक के रूप में भारत सरकार सभी पीएसबी को पर्याप्‍त रूप से पूंजीकृत बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।

 चालू वित्‍तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 7,940 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने सरकारी निवेश पर बैंक की निर्भरता को कम करने तथा सरकार की शेयरधारिता को 52% तक घटाने की प्रक्रिया में पीएसबी को फॉलो-आन पब्‍लिक ऑफर (एफपीओ) अथवा क्‍वालिफाइड इंस्‍टीट्यूशनल प्‍लेसमेंट (क्‍यूआईपी) के माध्‍यम से बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यदि आवश्‍यकता होगी तो सरकार इस वर्ष पीएसबी के लिए पूंजी आबंटन को उपयुक्‍त रूप से बढ़ाने की संभावना की भी जांच कर रही है।

\*\*\*\*\*